बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

!! अधिसूचना !!

संख्या :–2/एम7–14/08.................. पटना, दिनांक – ....

शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–788 दिनांक 15.06.11 के द्वारा बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन शाखा) को पुर्नगठित किए जाने के फलस्वरूप अधिसूचना संख्या–2/एम07–14/2008/939 दिनांक 23.06.11 के द्वारा शैक्षिक प्रशासन के सभी स्तरों के शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया हैं। तत्पश्चात् उसमें आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या–1744 दिनांक 23.08.2013, 1178 दिनांक 12.06.2015 एवं 531 दिनांक 08.05.2017 निर्गत किया गया। अधिसूचना संख्या 1178 दिनांक 12.06.2015 एवं 531 दिनांक 08.05.2017 को शिथिल करते हुए सम्यक समीक्षोपरांत सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत लेखा संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :–

1. 10.00 लाख रू0 से उपर की राशि के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे।
2. 10.00 लाख रू0 तक के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे।

विभागीय अधिसूचना संख्या–939 दिनांक 23.06.11 के प्रसंग में निर्गत अधिसूचना संख्या–1744 दिनांक 23.08.2013, अधिसूचना संख्या 1178 दिनांक 12.06.2015 एवं अधिसूचना संख्या 531 दिनांक 08.05.2017 को इस हद तक संशोधित माना जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(रॉबर्ट एल0 चोंग्थु)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 2/एम7–14/08 1585 पटना, दिनांक – 17/X/17

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, (प्रशासन)– सह–अपर सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्,

RAJ.1

पटना / सभी संयुक्त निदेशक / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी उप निदेशक / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / संबंधित पदाधिकारियों तथा सभी प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.10.17

सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

RAJ.2